रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220941
CG-DL-E-08082020-220941

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2324] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942
No. 2324] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SRAVANA 15, 1942

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

का.आ. 2622(अ).—भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) की धारा 9 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, की धारा 3 की उपधारा (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना एस.ओ. 415 (ई) और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित दिनांक 20 फरवरी, 2020 की अधिसूचना एस.ओ. 771(ई) के अनुवर्ती संशोधन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था ।दिनांक 28.01.2020 की मुख्य अधिसूचना के पैरा 5 के अनुसार समिति को अधिसूचना की तारीख के छह महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ।उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को एतद्वारा 27.07.2020 से आगे के छह महीनों तक उन्हीं निबंधन व शर्तों पर आगे बढ़ाया जाता है ।

[फा.सं.आई-12011/16/2014-आईएसआई]

चन्द्रदीप कुमार झा, उप महानिदेशक

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी, 2020 के का.आ. 415(अ) द्वारा की गयी थी ।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

S.O 2622(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959), the Central Government had constituted a committee vide Notification S.O. 415(E) dated 28th January, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), and subsequent amendment vide Notification S.O. 771 (E) dated 20th February, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii). As per para 5 of the principal notification dated 28.01.2020, the committee had to submit its Report within Six Months from the date of its notification. The date of submission of report by the said committee is hereby extended for six months beyond 27.07.2020 on the same terms and conditions.

[F. No.I-12011/16/2014-ISI]

CHANDRADEEP KUMAR JHA, Dy. Director General

Note: The principal notification was vide number S.O. 415(E) dated 28th January, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 15:13:43 +05'30'